

# कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रीवा (मध्यप्रदेश)


// विविध आदेश //

क्रमांक.....32...../  
दो-15-3/90

रीवा, दिनांक 26 /02/2024

श्री संजीव राहंगडाले प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड रीवा के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश रीवा की न्यायालय में इजराय प्रकरण क्रमांक-52/2016 प्रभा शर्मा वि० म०प्र० शासन एवं श्रीमती चेतना झारिया प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड रीवा के न्यायालय के चतुर्थ अतिरिक्त न्यायाधीश रीवा की न्यायालय में इजराय प्रकरण क्रमांक-07/2017 प्रभा शर्मा वि० म०प्र० शासन लंबित हैं, जो मूल प्रकरण क्रमांक-व्यवहारवाद 23ए/2005 से उद्भूत होकर एक-दूसरे से संबंधित प्रकरण हैं।

अतः सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा-24 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्रीमती चेतना झारिया प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड रीवा के न्यायालय के चतुर्थ अतिरिक्त न्यायाधीश की न्यायालय में लंबित इजराय प्रकरण क्रमांक-07/2017 प्रभा शर्मा वि० म०प्र० शासन को उनकी न्यायालय से वापस लिया जाकर विधि अनुसार निराकरण हेतु श्री संजीव राहंगडाले प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड रीवा के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश की न्यायालय में अंतरित किया जाता है।

  
(सुबोध कुमार जैन)


प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश  
रीवा (म०प्र०)

पृष्ठांकन क्र०.....1065...../  
दो-15-3/90

रीवा, दिनांक 26/02/2024

प्रतिलिपि:-

1. प्रथम व्य. न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड रीवा के न्यायालय के द्वितीय/चतुर्थ अतिरिक्त न्यायाधीश को निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण यथाशीघ्र संबंधित न्यायालय से प्राप्त/प्रेषित करना/सुनिश्चित करें।
2. अध्यक्ष, अधिवक्ता संघ रीवा की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. प्रस्तुतकार, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रीवा (म०प्र०)।
4. जू०सि०ए०/डी०एस०ए० की ओर वेबसाइट में अपलोड किये जाने एवं संबंधित न्यायाधीशगण के ई-मेल में प्रेषित किये जाने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

  
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश  
रीवा (म०प्र०)